

13. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
14. आयुक्त, आबकारी विभाग, उ०प्र०।
15. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय/नगर विकास, उ०प्र०।
16. निदेशक, नियोजन विभाग, उ०प्र०।
17. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
18. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
19. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
20. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०।
21. निदेशक, खनन विभाग, उ०प्र०।
22. क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वी/पश्चिमी), एन०एच०ए०आई०, उ०प्र०।
23. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/नोडल अधिकारी, सड़क सुरक्षा, उ०प्र०।
24. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
25. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
26. समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), उ०प्र०।
27. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ०प्र०।
28. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ०प्र०।
29. समस्त कर्मचारी, परिवहन विभाग, मुख्यालय।

M
26/12/23
(पी०एस०सत्याधी),

अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन/स०सु०),
उत्तर प्रदेश।

*circulate to all HOD
for NA*

29-12-23
Dean
Academics
K.G. Medical University U.P.
Lucknow

क्र.सं.निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या-एम०ई०-1/2023/4563

लखनऊ:दिनांक 28 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले किएटिव को जनसामान्य के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :-

1. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।
2. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुलसचिव, उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. निदेशक, ड० राम मनोहर लोहिया संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज।
6. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय।
7. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर।

To:
DSW for
NA
29.12.23
Dean
Academics
K.G. Medical University
Lucknow

Amul
28-12-23
(इन्दुश्री)

सम्बद्ध अधिकारी।

Notice Board

Ami
29-12-23
Dean
Academics
K.G. Medical University U.P.
Lucknow



परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

हर साफर में सड़क सुरक्षा

सुरक्षित सफर,
सुरक्षित प्रदेश



स्मार्ट बनें
सुरक्षा चुनें

- टोपहिया वाहन चलाते समय BIS मार्क का हेलमेट अवश्य पहनें, दूसरी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य
- अपनी लेन में ही वाहन चलाएं
- वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें
- तेज स्फ़्तार से वाहन न चलाएं
- नशे की हालत में वाहन न चलाएं

यातायात नियमों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।
आइए, हम सब यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लें।

108

112



1800-1800-151



परिवहन विभाग



परिवहन विभाग



परिवहन विभाग



परिवहन विभाग

महत्त्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-3496/तीस-3-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परियहन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2023

विषय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से "हर घर तिरंगा" की भांति "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले क्लिपटिव को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के प्लाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकांठ पर स्टेटस के रूप में लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में बढ़ती हुई मृतकों की संख्या एक गम्भीर चिंता का विषय है, जिसमें कमी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करके ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सकती है।

2. आप अवगत ही हैं कि शासन के पत्र संख्या-आई/440447/तीस-3-2023, दिनांक 05.12.2023 द्वारा दिनांक 15 से 31 दिसम्बर, 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें समस्त स्टैकहोल्डर विभागों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही भी की जा रही है। सड़क सुरक्षा के संदेश को जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" की भांति ही "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन को प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, एनओओओ, ट्रक, बस, टैम्पो/टैक्सो आदि यूनियनों तथा मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के प्लाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकांठ पर स्टेटस अनिवार्य रूप से लगाया जाना है।

3. उल्लेखनीय है कि आपकी अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली जिला/मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में स्टैक-होल्डर विभागों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न एनओओओ एवं बस/ट्रक/टैम्पो/टैक्सो यूनियन आदि के पदाधिकारी भी प्रतिभाग करते हैं। इसके साथ-साथ अन्य विभागों की जनपद स्तरीय समितियों की बैठक भी आपकी अध्यक्षता में ही आयोजित हो रही है। सड़क सुरक्षा के संदेश को आम-जनमानस तक पहुंचाने हेतु शिक्षा विभाग के माध्यम से समस्त छात्र/छात्राओं तथा सरकारी/गैर-सरकारी विभागों के साथ-साथ समस्त समितियों एवं संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले क्लिपटिव को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाना सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रभावी सिद्ध

हो सकता है।

अतः "हर सप्तर में सड़क सुरक्षा" का क्रियविम सलरन कर प्रेषित करने हुए मुझे यश कानून का निदेश हुआ है कि कृपया सड़क सुरक्षा परियोजना से सम्बन्धित दिवस पर दिनांक 24-12-2023 को "हर सप्तर में सड़क सुरक्षा" सलरन वाले क्रियविम को जनसामान्य के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाने हेतु अपने स्तर से विधायक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संबन्धित "हर सप्तर में सड़क सुरक्षा" क्रियविम

Digitally Signed by श्री

श्रीमंत मिश्र

Date: 24-12-2023 13:15:44

Reason: Approved

(श्रीमंत मिश्र)

मुख्य सचिव।

संख्या-3496(1)/तीस-3-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सखनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ०प्र०)।
- 4-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5-प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राजस्व सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
- 6-पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
- 7-समस्त परिषद पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त अपर परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त, उ०प्र० (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 9-समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रयत्न), उ०प्र० (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 10-समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रयत्न), उ०प्र० (द्वारा परिवहन आयुक्त)।

श्रीमंत मिश्र
मुख्य सचिव।

पुसं०- 3003 (1) संसु०/2023, समदिनांकित-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, (यातायात) यातायात निदेशालय, उ०प्र०।
5. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र०।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7. प्रमुख अभियंता(विकास एवं विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, उ०प्र०।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा, उ०प्र०।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपशा, उ०प्र०।
11. प्रबंध निदेशक, उ०प्र०रा०स०प०नि०, लखनऊ।
12. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ, उ०प्र०।